भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1674**
दिनांक 03.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**असम में जल जीवन मिशन**

**1674 श्री जोगेन मोहन:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) जल जीवन मिशन के शुभारंभ के पश्चात् असम में इस मिशन के अंतर्गत अब तक क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं;

(ख) असम के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) जल स्रातों की संधारणीयता तथा जल की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सभी घरों तक नल से जल की सार्वभौमिक पहुँच का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने कौन-सी रूपरेखा तैयार की है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार, अगस्त, 2019 से, राज्यों की भागीदारी से, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम 2.0 को बढ़े हुए परिव्यय के साथ दिसंबर, 2028 तक बढ़ाने और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव

की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार केवल तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को सहायता प्रदान करती है।

मिशन की शुरुआत में, असम में लगभग 1.11 लाख (1.54%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 57.99 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, राज्य के 72.24 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 59.11 लाख (81.82%) घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जेजेएम 2.0 दिशानिर्देशों में, जिला स्रोत स्थिरता कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्रोत स्थिरता और जल सुरक्षा ढांचे को शामिल किया गया है। इसके अलावा, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी), वित्त आयोग अनुदान, जिला खनिज निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के साथ मिलकर स्रोत रिचार्जिंग के लिए गतिविधियां जैसे समर्पित बोरवेल रिचार्ज संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प आदि संपन्न की जा रही हैं। इन प्रयासों को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, जल संचय जनभागीदारी, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम और अटल भूजल योजना सहित राष्ट्रीय पहलों द्वारा पूरक बनाया गया है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत परियोजना निधि का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, *जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ* जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपस्करों, उपकरणों, रसायनों, कांच के बने पदार्थों, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जागरूकता उत्पन्न करना, जल गुणवत्ता के संबंध में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

*****